

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2023

जयपुर दिनांक 12 JUN 2023

**::अधिसूचना::**

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ़	अलवर	गोविन्दगढ़
2	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नगर	भरतपुर	नगर
3	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीकरणपुर	श्रीगंगानगर	श्रीकरणपुर
4	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर	श्रीगंगानगर	सादुलशहर
5	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, सीकर	सीकर	सीकर
6	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़	झालावाड़	झालावाड़
7	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर
8	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा	बालोतरा	बालोतरा
9	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई	दौसा	बांदीकुई


नोट-उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

  
(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सैशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, अलवर/भरतपुर/श्रीगंगानगर/सीकर/झालावाड/सवाईमाधोपुर/बाडमेर/बालोतरा/दौसा।
9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

  
(आशुतोष कुमारवत)  
संयुक्त शासन सचिव